रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, सोमवार मई 6, 1991/वैशाख 16, 1913
No. 14] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 1991/VAISAKHA 16, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

सं. पी एस बी/स्टाफ/ओएसआर/1991 :—बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) के खण्ड 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य एतद्द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम–1982 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाते हैं ।

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—

(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1991 कहा जाएगा ।

(2) यह विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

विनियम—21 निम्नानुसार संशोधित :—

(21) दिनांक 1-11-1987 को तथा उसके बाद से मंहगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :—

(1) मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगा।

(2) मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

(1) रु. 2500 तक वेतन का 0.67% और

(2) रु. 2500 से ऊपर परन्तु रु. 4000 तक वेतन का 0.55%, और

(3) रु. 4000 से ऊपर परन्तु रु. 4260 तक वेतन का 0.33%, और

(4) रु. 4260 से ऊपर वेतन का 0.17%

विनियम 22(2) और विनियम 22(3) के स्पष्टीकरण 1(1) और स्पष्टीकरण 2 निम्नानुसार संशोधित है :—

22(2) 1-1-1990 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :—

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(1) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 14 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 450 रु. प्र.मा.
(2) क्षेत्र-1 में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रु. 375 प्र.मा.
(3) क्षेत्र-2 तथा उपर्युक्त (1) तथा (2) के अंतर्गत न आने वाले राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां ।	वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रु. 325 प्र.मा.
(4) क्षेत्र-3	वेतन का 8 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रु. 300 प्र.मा.

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 6 प्रतिशत से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया अथवा स्तम्भ-2 में उल्लिखित दरों पर, जो भी कम हो, जो अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का अधिक से अधिक 175 रु. होगा।

स्पष्टीकरण :—

1(ख) दिनांक 1-4-1990 को या उसके बाद से यदि निवास स्थान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है तो बैंक द्वारा देय संविदागत किराया अथवा ऊपर 'क' में दर्शाई गई पद्धति के अनुसार आंका गया किराया, जो भी कम हो।

(2) इस विनियम और विनियम-23 में क्षेत्र-1, क्षेत्र-2 तथा क्षेत्र-3 का अर्थ निम्नानुसार होगा :

क्षेत्र-1	—	12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान
क्षेत्र-2	—	क्षेत्र-1 में न आने वाले ऐसे सभी शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख और उससे अधिक हो।
क्षेत्र-3	—	क्षेत्र-1 और क्षेत्र-2 में न आने वाले अन्य सभी स्थान।

विनियम-24 निम्नानुसार संशोधित है :—

विनियम 24

(1) अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा। अर्थात् :—

(क) चिकित्सा व्यय :—

1-1-90 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति तीन स्तम्भ-1 में विनिर्दिष्ट वेतन सीमा तथा स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाणपत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा।

सारणी

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
1	2
रु. 2100 से रु. 3060 प्रति माह	रु. 750
रु. 3061 प्र. म. और अधिक	रु० 1000

टिप्पणी.—उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के परिवार में उसका पति/उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :—

(1) दिनांक 1-4-1989 को और उसके बाद से ऐसे सभी मामलों में जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति बिल, वाउचर आदि के आधार पर सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित सीमा के अंतर्गत की जाएगी।

(2) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगर पालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल (अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबन्धक के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी होम या बैंक द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि तक सीमित रहेगी ।

(3) 1-4-1989 को और उसके बाद से मान्यताप्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को ही अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय रोग, ट्यूमर, चेचक, प्लूरिसी, डिपथीरिया कुष्ठ रोग, गुर्दे की खराबी।

विनियम 33(4) निम्नानुसार संशोधित है :—

विनियम 33(4) 1-3-1990 को और उसके बाद से, जब तक कि आवेदित छुट्टी मंजूर न कर दी गई हो, विशेषाधिकार छुट्टी, अधिक से अधिक 210 दिनों तक संचित की जाएगी।

दिनांक 1-1-1987 से विनियम 41(4) (च) निम्नानुसार संशोधित है :—

(च) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर दौरा ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10 का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जाएगा है।

हस्ता-

एन. एम० गुजराल, उप महा प्रबन्धक (कार्मिक)

PUNJAB & SIND BANK

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1991

No. PSB|STAFF|OSR|1991.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of PUNJAB & SIND BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the PUNJAB & SIND BANK (Officers') Service Regulations 1982.

1. Short Title and Commencement :—

(i) These regulations may be called the Punjab & Sind Bank (Officers) Service (Amendment) Regulations 1991.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

REGULATION 21 STANDS AMENDED AS UNDER :—

REG. On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall 21 be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'Pay' upto Rs. 2500 plus,

(ii) 0.55% of 'Pay' above Rs. 2500 to Rs. 4000 plus,

(iii) 0.33% of 'Pay' above Rs. 4000 to Rs. 4260 plus,

(iv) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4260.

Regulation 22 (2) and Explanation 1 (b) and Explanation (2) under Regulation 22 (3) stands amended as under :—

REG. On and from 1-1-1990, where an officer is not provided 22(2) any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for house Rent allowance at the following rates :—

COLUMN -I Where the place of work is in	COLUMN-II HRA Payable shall be
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Govt. & Project Area Centres in Group 'A'	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii) Other places in Area-I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii) Area-II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) Above	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m.
(iv) Area-III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise, whichever is lower.

EXPLANATION :—

With effect from 1-4-1990.

1(b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area-I, Area-II, and Area-III shall mean as under :—

Area-I—Places with a population of more than 12 lakhs.

Area-II—All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area-III—All places not included in Area I and Area II.

REGULATION 24 STANDS AMENDED AS UNDER :—

REG. 24 (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) MEDICAL EXPENSES :

On and from 1-1-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in Column I of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a

statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3061/- p.m. and above	Rs. 1000/-

Note :—An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not the exceed at any time three times the maximum amount provided above.

EXPLANATION :

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) HOSPITALISATION EXPENSES :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisaion charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the bank. Reimbursement in such cases should however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recogn'sed hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case of an officer and 60% in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumor, Small Pox, Pleurosy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

REGULATIONS 33 (4) STANDS AMENDED AS UNDER :—

REG. On and from 1-1-1990 privilege leave may be accumulated upto 33(4)) not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

Regulation 41(4) (f) stands amended w.e.f. 1-1-1987 as under :—

(f) A supplementary Diem Allownace of Rs. 10 per day of halt outside head quarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Sd/-
N. S. GUJRAL, Dy. Gen. Manager (Personnel)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1991